Form no III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम**निम्बाहेडा**

भगवतीलाल पिता नारायण बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा, किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र** मु.न.**25** सन् **2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म
09.04.2024	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस में प्रकट तथ्यों व दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी व प्रार्थी की भूमि से लगे हुए सभी पड़ोसी खातेदारों को सूचना–पत्र जारी करते हुए उनकी उपस्थिति में, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में तथा किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी आराजियात वाके मौजा निम्बाहेड़ा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा–ए तहसील निम्बाहेड़ा की खाता सख्या 1068 की आराजी नम्बर 3342/2168 रकबा 0.2625 हैक्टेयरभूमि की कि[illegible] दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस [illegible] प्रार्थी से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये ज[illegible] में पेश करें। पत्थगढ़ी हुक्मनामा/[illegible] सुनाया जाकर अलग से कम्प्युटरराईज्ड करा शा.फा. किया [illegible] जिसकी प्रति तहसीलदार निम्बाहेड़ा को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:22:51 IST
Reason: SelfAttested